कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 1403 /12–1 नई टिहरी, दिनांक– 15/01/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
घनसाली (मु0–घुमेटीधार), टिहरी गढ़वाल।

विषयः– **जनपद–टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में बालगंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बालगंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गार्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.085 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online No-FP/UK/ROAD/47739/2020)**

सन्दर्भः– वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती का कार्यालय पत्रांक– 1244/12–1, दिनांक–28.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर वन संरक्षक कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार आपत्तियां इगित करायी गयी हैः–

1. विषय सूची में पृष्ठ संख्या अंकित नही की गयी है।
2. उपजिलाधिकारी स्तरीय संयुक्त निरीक्षण आख्या, प्रारूप–6 में उपजिलाधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।
3. आपके द्वारा चस्पा संयुक्त निरीक्षण में 108 वृक्षों का प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची में 163 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। कृपया स्पष्ट करें।
4. प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश प्रारूप–21 में वृक्षों की संख्या 64 दर्शायी गयी है, जबकि अन्य प्रपत्रों में वृक्षों की संख्या 163 दर्शायी गयी है।
5. प्रारूप–22, बांज वृक्षों के प्रमाण–पत्र में वन संरक्षक का निरीक्षण हेतु सूचना प्रेषित नही की गयी है। कृपया स्पष्ट करें।
6. प्रारूप–25, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आई0 टी0 सेल, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त कर तद्नुसार प्रारूप–25 में हवाई दूरी का आंकलन चस्पा करें।
7. प्रारूप–30, जिलास्तरीय समिति में स्थान तथा दिनांक–अंकित नही की गयी है।
8. प्रारूप–30.1, उपखण्ड स्तरीय समिति में उप प्रभागीय वनाधिकारी का नाम, पत्रांक, दिनांक एवं समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित नही किया गया है।
9. क्षतिपूरक वनीकरण के जी0आई0एस0 मानचित्र में राजस्व विभाग के हस्ताक्षर अपेक्षित है।
10. प्रभावित क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधारीकरण/पुनर्जनन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के पत्रांक FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 के अनुसार प्रस्ताव के रैखिक होने के फलस्वरूप परियोजना लागत का 2% का वन्यजीव मिटिगेशन प्लान एवं 0.5% का मृदा एवं जल

dc

संरक्षण प्लान उपलब्ध कराया जायेगा तथा सहायतित प्राकृतिक पुर्नोत्पादन एवं अन्य उपचार कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

11. प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–612/26–1, दिनांक–06.12.2023 से जारी निर्देशों के अनुपालन में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मलबे के निस्तारण हेतु समस्त तकनीकी एवं जैविक/वानस्पतिक मानकों को सम्मिलित करते हुए तर्कसंगत विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जानी है, जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में वर्णित "मलबा निस्तारण प्लान" इस प्रकार बनायें जायें कि भविष्य में यह स्थल एक Utility Spot के रूप में भी विकसित किया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थिति में यह मलवा Sliding Zone में ना परिवर्तित हो और ना ही यह नीचे बहने वाली नदी–नालों में जाये।

12. एन0पी0वी0 का आंकलन त्रुटिपूर्ण है। कृपया संशोधित आंकलन चस्पा करें।

13. वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में चस्पा प्रपत्रों को प्रारूपवार चस्पा किया जाये।

अतः प्रस्ताव की प्रतियां मूल इस कार्यालय से प्राप्त कर उपरोक्त कमियों के निराकरण उपरान्त संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करानें का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।